

निबंधित/ईमेल

बिहार सरकार  
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग  
प्रपत्र 'ड'  
(नियम 4 (2) देखें)

I.D. No.-83/2024

अन्य प्राधिकार से संबंधित आवेदन का स्थानान्तरण

पत्र सं०-4/सी० आर० टी० आई०-73/2024...../

दिनांक-.....

प्रेषक,

श्रीकान्त गुड़िया,  
अवर सचिव-सह-लोक सूचना पदाधिकारी।

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी,  
ग्रामीण विकास विभाग,  
बिहार, पटना।

विषय:-

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन मांगी गई सूचना प्रपत्र का हस्तांतरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आवेदक Sri Kareem Ansari का आवेदन प्रपत्र 'क' दिनांक-02.05.2024 जो मुख्य सचिव कोषांग के दैनिक सं०-355 दिनांक-07.05.2024 द्वारा इस विभाग में दिनांक-07.05.2024 को प्राप्त हुआ है। इसके साथ निम्न कारणों से संलग्न किया जाता है:-

वांछित सूचना आपके कार्यालय के क्षेत्राधिकार में है, अतः अधिनियम की धारा 6 (3) के अनुपालन में इसे आवश्यक कार्यार्थ आपको हस्तांतरित किया जा रहा है। यदि वांछित सूचना आपके क्षेत्राधिकार में नहीं हों तो संबंधित क्षेत्राधिकार वाले लोक सूचना पदाधिकारी को आवेदन प्रपत्र हस्तांतरित किया जाए।

यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा आवेदन प्रपत्र 'क' के साथ वांछित शुल्क रुपये 10/-का भारतीय पोस्टल आर्डर सं०-62F 071704 संलग्न किया गया है। जिसे सरकारी राजकोष में जमा किया जा रहा है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(श्रीकान्त गुड़िया)

अवर सचिव-सह-लोक सूचना पदाधिकारी।

ज्ञापांक-4/सी० आर० टी० आई०-73/2024...../ 94

पटना, दिनांक-09.05.2024

प्रतिलिपि:- Sri Kareem Ansari, Yugantar (4XZ33S5P), 3-4-142/6, Barkatpura, Hyderabad-500027, Email- 4xz33s5p@yourti.in को उनके आवेदन प्रपत्र 'क' दि०-02.05.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

आपका आवेदन इस विभाग के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, अतः इसे संबंधित क्षेत्राधिकार वाले लोक सूचना पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को हस्तान्तरित कर दिया गया है। वांछित सूचना हेतु उल्लिखित लोक सूचना पदाधिकारी से सम्पर्क करने के लिए आपसे अनुरोध किया जाता है।

2. यदि संबंधित कार्यालय द्वारा ससमय वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर कर सकते हैं।

09/05/2024

(श्रीकान्त गुड़िया)

अवर सचिव-सह-लोक सूचना पदाधिकारी।